न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 278 – दो/2012 विरूद्व आदेश दिनांक 29.11.2001 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 39/99–2000 निगरानी

मंगल सिंह पुत्र शिवसिंह गुर्जर
ग्राम सिमिलिया तहसील विजयपुर
जिला श्योपुर, मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूद्व

किशन सिंह पुत्र महाराज सिंह गुर्जर
ग्राम बगवानी तहसील विजयपुर
जिला श्योपुर, मध्य प्रदेश ———अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री बी.एस.धाकड़)

आ दे श
(आज दिनांक 16–10–2015 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 39/99–2000 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.11.2001 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पटवारी ग्राम एंव थाना प्रभारी गसवानी व्दारा इस आशय का प्रतिवेदन तहसीलदार विजयपुर को प्रस्तुत किया कि ग्राम सिमिलिया का कोटवार मंगलसिंह पुत्र शिवसिंह गूजर सवलगढ़ जेल में बन्द है अतः किशनू पुत्र महाराजसिंह गूजर को ग्राम सिमिलिया का कोटवार नियुक्त किया जावे। इन प्रतिवेदनों पर तहसीलदार विजयपुर ने प्रकरण कमांक 01/1998–99 अ–6 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 1–1–99 पारित कर आवेदक को कोटवार पद से प्रथक करते हुये अनावेदक को अग्रिम आदेश तक शासकीय कार्य करने की दृष्टि से अस्थाई कोटवार नियुक्त किया एंव स्थाई कोटवार नियुक्त करने हेतु इस्तहार जारी किया। इस आदेश

के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के समक्ष अपील कमांक 19/98—99 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 15—2—99 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 1—1—99 निरस्त किया गया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ। तहसील न्यायालय में प्रकरण आने पर उभय पक्ष की सुनवाई कर आदेश दिनांक 24—5—99 पारित किया गया तथा आवेदक को पूर्ववत् कोटवार पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के समक्ष अपील कमांक 22/98—99 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 28—12—99 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 24—5—99 निरस्त किया गया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रकरण में विधिवत कार्यवाही कर पटवारी एंव पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कोटवार पद पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाय। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 39/99—2000 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 29—11—2001 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब आवेदक के सम्बन्ध में पुलिस से चाल—चलन वावत् जानकारी ली गई, अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस विजयपुर ने पत्र दिनांक 7.9.99 से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की है कि मंगल सिंह गुर्जर निवासी सिमिलिया के विरूद्व पुलिस थाना विजयपुर में व गसवानी में निम्न प्रकरण दर्ज हैं :—

1. इस्त. क. 87/89 धारा 107,116(3) सी.आर.पी.सी.
2. अपराध क. 31/96 धारा 452, 506 वी, 341 आई.पी.सी.
3. अपराध क. 24/97 धारा 451, 323, 506 वी, आई.पी.सी.
4. अपराध क. 142/98 धारा 365,341,323,34 आई.पी.सी.
5. इस्ता.कमांक 2/99 धारा 41(2), 110 सी.आर.पी.सी.

उक्त के अतिरिक्त दो इस्त. क. 448/20.6.99 के प्रकरण पंजीबद्व होकर माननीय दांडिक न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुये हैं। जब आवेदक के विरूद्व उक्तानुसार अपराध प्रकरण पंजीबद्व है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसे कोटवार पद पर नियुक्ति वावत् तहसीलदार व्दारा जारी आदेश दिनांक 24.5.99 को निरस्त कर प्रकरण पुर्नजांच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है, जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 39/99—2000 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.11.2001 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। वैसे भी उभय पक्ष को तहसीलदार के समक्ष पुर्नसुनवाई में अपना—अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता हूँ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 39/99—2000 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.11.2001 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतएव निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर